1144

1127 **1000Rs.**

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

5

[illegible] १२ [illegible] एवं [illegible]
[illegible] अधिनियम 1908 की धारा
...46...(1)....[illegible]... के अधीन
[illegible] भारतीय स्टाम्प अधिनियम
(इंडियन स्टाम्प एक्ट) 1899 की अनुसूची
1 का 1 क संख्या ....23 I A with the Permission
[illegible] by S.D.O. Simdega vide
[illegible] स्टाम्प शुल्क से [illegible] Case No. 169/2010-11
[illegible] स्टाम्प शुल्क [illegible] order dated
18-11-2010

[signature] 23.11.10

[signature] 23-11-10

कैरोबीन खेस्स 23.11.10

§1§ लेख्यकारी:- श्री केरोबीन खेस्स पिता स्व0 सेबेस्तीयन खेस्स, जाति- उराँव, पेशा- खेतीबारी, निवास ग्राम- खिजरी सामटोली, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

.. .. .. बिक्रेता ।

शपथ-पत्र संख्या:- 756 | 2010

नाम- अनूप खेस्स
पिता- स्व0 करोलुस खेस्स
ग्राम- खिजरी सामटोली
थाना + जिला- सिमडेगा
23.11.10
गो:

Sample output to test PDF Combine only

467/10

001265/10

Sl. No. 419 dt 19-11-10

कार्यालय जिला कोषागार पदाधिकारी
19 NOV 2010
19/11/10
सिमडेगा

श्री रगरनेस्ट सोरेंग
वल्द स्व० लेक्स सोरेंग
ग्रा. [illegible] बेहर जिला सिमडेगा को
निम्नलिखित ननजुडिशियल स्टाम्प
वास्ते बैनामा
रुपया 4400/-
19/11/10
कोषागार लिपिक
[illegible]

1000 × 4 — 4000=
100 × 4 — 400=
कुल — 4400=

केरोलीन खेस्स
23.11.10

23-11-10 ... 10 to 1 ... [illegible]
आपराह्न में सदर निबन्धन कार्यालय
सिमडेगा में [illegible]
[illegible] जो सत ... है
[illegible] ... के [illegible]
[illegible] प्रमाणीकृत है।
श्री / श्रीमती केरोलीन खेस्स
पिता / पति स्व० सेबेस्तियनु खेस्स
ग्राम रेंगारी थाना सिमडेगा
[illegible] सामटोली
23.11.10
[illegible]

निबन्धक सिमडेगा (झारखण्ड)

23.11.10

(2) लेख्यधारी:- श्री एरनेस्ट सोरेंग पिता स्व0 लुकस सोरेंग जाति- खड़िया, पेशा- नौकरी, निवास ग्राम- सेवई गोरयाबहार, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

.. भारतीय नागरिक .. क्रेता ।

शपथ-पत्र संख्या:- 757/2010

(3) लेख्यप्रकार:- विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी पुत्र पुत्रादिक सदा सर्वदा के लिए होता है ।

(4) मूल्य:- मोबलिग एक लाख दस हजार रुपये अंके 1,10,000/- रुपये होता है ।

(5) सम्पति:- एराजियात अन्दर मौजा- खिजरी पुरनापानी, थाना- सिमडेगा, थाना नं0 105, सदर रजिस्ट्री ऑफिस वो जिला- सिमडेगा के खाता नं0 96 (छियानबे) प्लॉट नं0 228 (दो सौ अठाईस) रकबा 1·59 एकड़ में से 0·10 एकड़ (दस डिसमिल) आवासीय जमीन, जिसपर किसी प्रकार का मकान या निर्माण नहीं है ।

जिसकी चौहद्दी:-

उत्तर:- इसी प्लॉट का अंश चवरा रेगोन खेस्स,

दक्षिण:- सुनील खेस्स का चवरा दोन,

पूरब :- दोमनिक उराँव का दोन,

Sample output to test PDF Combine only

1000Rs.

पश्चिम:- इसी प्लाॅट में छोड़ा गया रास्ता कच्ची ।
मालगुजारी 3 पैसा (तीन पैसा) अलावे सेस सलाना ।

(1) चूँकि मुझ लेख्यकारी को मकान निर्माण एवं अन्य दीगर घरेलू खर्च के लिए रुपयों की जरुरत पड़ी जिसकी व्यवस्था जमीन बेचे वगैर सम्भव न हुई और तब मैंने लेख्यधारी से मेरी जमीन खरीदने की प्रार्थना की जिसे उन्होंने खरीदना एवं रुपये देना स्वीकार किया ।

(2) इसलिए मैंने अपनी इच्छा से शरीर वो मन की स्वस्थता में रहकर उपर खाना संख्या पाँच में वर्णित जमीन को उपर्युक्त लेख्यधारी के हाथ नगद कीमत चुकता पाकर बेचा और बेची गई जमीन का कुल हक दखल वो अधिकार उक्त लेख्यधारी वो उनके उत्तराधिकारियों के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया । अब से बेची गई जमीन पर न मेरा कोई हक सरोकार रहा और न मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का कोई हक सरोकार रहा और न आइन्दा रहेगा ।

(3) मै प्रतिज्ञा करता हूँ कि बिक्री की जा रही जमीन खतियानी है । जिसका खतियान छोटका बन्डा उराँव वगै० के नाम से नाप दर्ज है । मालगुजारी रसीद पौल उराँव वगै० के नाम से कटती है । छोटका बन्डा उराँव मेरे परदादा थे । वर्णित जमीन उत्तराधिकारी

23.11.10

Sample output to test PDF Combine only

1000 Rs.

के हैसियत से आपसी जबानी भैयादी बँटवारा में मेरे पिता को प्राप्त हुआ, तत्पश्चात मेरे पिता के मृत्यु के बाद बिकृति जमीन आपसी जबानी भैयादी बँटवारा में मुझे प्राप्त हुआ है जिसपर मेरा निर्विवाद हक दखल वो कब्जा है और किसी प्रकार का वाद या झगड़ा झंझट नहीं है ।

(4) चुँकि हम उभय पक्ष आदिवासी समुदाय के सुरक्षित सदस्य है अत: जमीन खरीद बिक्री हेतु अनुमति के लिए श्रीमान् अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा के न्यायालय में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत आवेदन दिया । जिसका वाद संख्या 169/2010-11 है जिसकी स्वीकृति दिनांक 18.11.2010 को प्राप्त हुई एवं जिसका मेमो नं0 1034(ii) दिनांक 18.11.2010 है ।

(5) अब चाहिए कि लेख्यधारी अपनी जमीन पर काविज वो दखलकार होकर अपना जैसा फायदा का समझें अपने उपयोग में लावें वो झारखण्ड सरकार वजरिये अंचल अधिकारी, सिमडेगा के कार्यालय से अपने नाम पर दाखिल खारिज कराकर तारीख लेख्य से व अदाय मालगुजारी के रसीद खास नाम से हासिल किया करें ।

(6) इसलिए यह विक्रय पत्र केवाला बैला कलामी सदा दिन के लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे वो वक्त जरूरत पर काम आवे ।

Sample output to test PDF Combine only

100Rs.

--5--

मैं लेख्यकारी यह घोषणा करता हूँ कि विकृीत जमीन वो बचत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

केरोबीन खेस्स
23.11.10

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यकारी श्री केरोबीन खेस्स के बांये हाथ के पांचों अंगुलियों का छाप मेरे समक्ष लिया गया।

सरयू बड़ाइक अधिवक्ता
२३-११-१०

केरोबीन खेस्स
23.11.10

Sample output to test PDF Combine only

100 Rs.

मैं लेख्यधारी यह घोषणा करता हूँ कि पूर्व में धारित जमीन वो खरीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है।

Ernest Soreng
23-11-10

23.11.10

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यधारी श्री अरनेस्ट सोरेंग के बांये हाथ के पांचों अंगुलियों का छाप मेरे समक्ष लिया गया।

सरयू बड़ाईक अधिवक्ता
23.11.10

Sample output to test PDF Combine only

100Rs.

--7--

उभय पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना वो समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

सही/- सरयू [illegible] अधिवक्ता
23.11.10

(प्रारूपकर्त्ता)
तारीख:-

Sample output to test PDF Combine only

100Rs.

प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र दस्तावेज के कुल आठ पृष्ठों में कुल 596 शब्द टंकित है जो खण्डन रहित वो नक्सा सहित है ।

टंकक

मो० मकसूद
23-11-2010

मो० मकसूद
कचहरी परिसर,
सिमडेगा ।

23.11.10

Sample output to test PDF Combine only